उत्तर मध्य रेल , झाँसी

संविदा के आधार पर चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु ऑनलाइन साक्षात्कार

रेलवे बोर्ड के पत्रांक 2020/E (GR)II /कोविड-19 /WFH/1 dated 28.03.2020, 31.03.2020 & 30-06-2020 के सन्दर्भ में करोना के रोकथाम हेतु उत्तर मध्य रेल द्वारा झाँसी मंडल पर 08 चिकित्सको को छेः माह की अवधि के लिए करार के आधार पर पूर्णकालिक तौर पर नियुक्त करने हेतु निम्लिखित विवरण के आधार पर ओपन मार्किट के चिकिसकों एवं केंद्र सरकार /राज्य सरकार /भा रेल चिकित्सा सेवा (रेलवे) के सेवानिवृत चिकित्सकों से आवेदन आमंत्रित किये जातें हैं ।

क्रम संख्या	विशेषता	रिक्ति	नियुक्ति का स्थान
01	फिजिशियन विशेषज्ञ	02	झॉसी मंडल मे स्थित विभिन्न कोविड–19 ईकाई यथा आईसोलेशन वार्ड, आईसोलेशन कोच, क्वारनटिन सेन्टर, फ्लू ओ.पी.डी, ट्रायेज एरिया इत्यादि
02	सामान्य डयूटी चिकित्सक (जी.डी.एम ओ)	06	

Details of On line Interview:

वाटस अप मोबाईल नं0.	Date	Time	Venue
9794825020	29.07.2020 (बुधवार)	10.00 hrs to 13.00 hrs	मंडल रेलवे चिकित्सालय, रेलवे चिकित्सालय, झॉसी

नोट :-१ अभ्यर्थी अपना आवेदन एवं मांगे गए संलगक सीधे ईमेल id- conp2019@gmail.com पर दिनांक सुबह 10 बजे 29.07.2020 तक अपलोड करेंगे एवं दिए गए व्हाट्सप्प नंबर 9794825020 पर दिनांक 29.07.2020 एवं आगे की तिथियों में साक्षात्कार लिया जायेगा।

अन्य तत्कालीन सेवानिव्रत रेलवे डॉक्टरों के लिए मानदेय: यदि सरकारी आवास उपलबध नहीं कराया नहीं जाता है तब 75,000/- जनरल ड्यूटी एवं फिजिशियन विशेषज्ञ हेतु Rs.95,000/- प्रति माह, यदि सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाता है तो हाउस रेंट अलाउंस एवं लाइसेंस फीस के बराबर की रकम कटौती की जाएगी।

केंद्र सरकार /राज्य सरकार /भा रेल चिकित्सा सेवा (रेलवे) के सेवानिवृत चिकित्सकों के लिए मानदेय: यदि सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है तब Rs 46,000/- (बशर्ते की मानदेय+ सेवनिवर्ती डॉक्टरों द्वारा प्राप्त किये जाने वाला पेंशन उनके अंतिम पे ड्रान से अधिक नहीं होना चाहिए) यदि सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाता है तब ग्रुप A कनिष्ट वेतनमान के अधिकारियों को दिया हाउस रेंट अलाउंस और रेलवे आवास के लाइसेंस फीस के बराबर की रकम की कटौती सी एम पी के मासिक वेतन से कटौती की जाएगी।

सेवानिवृत रेलवे डॉक्टरों के अलावा अन्य की आयु : उमीदवार की आयु दिनांक 28.07.2020 को 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए हालाँकि, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष और ओ बी सी उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष की छूट स्वीकार्य है।

केंद्र सरकार /राज्य सरकार /भा रेल चिकित्सा सेवा (रेलवे) के लिए आयु : उमीदवार की आयु दिनांक 28.07.2020 को 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चहिये

सेवा निवृत रेलवे डॉक्टरों के अलावा अन्य डॉक्टरों की शर्तें: डॉक्टरों का अनुबंध शुरू में छेः महीने की अवधि के लिए होगी, जो सी एम पी के मूल्यांकन के आधार पर प्रशासनिक अवश्यकताओं के अनुसार विस्तार योग्य है हालाँकि, 15 दिनों की नोटिस देने के बाद दोनों तरफ की समाप्ति से पहले इन डॉक्टरों की सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। रेलवे प्रशासन 15 दिनों की नोटिस की परिस्तिथियों में तत्काल प्रभावसे 15 दिन के बराबर मानदेय दिया जा सकता है करार के आधार पर इन डॉक्टरों द्वारा दी गयी सेवाएं एवं वैकल्पिक व्यवस्था है और संघ लोक सेवा आयोग द्वार नियमित चयन के मामलें में इस अवधि को कोई महत्व नहीं दिया जायेगा। इससे रेल सेवा में नियमित अथवा समाहित होने का अधिकार भी उसकी संविदा समाप्त कर दी जाएगी।

प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं है।

केंद्र सरकार /राज्य सरकार /भा रेल चिकित्सा सेवा (रेलवे) के सेवानिवृत चिकित्सकों हेतु नियम व शर्तें :-सी एम पी के रूप में सेवानिवृत रेलवे डॉक्टरों का अनुबंध न्यूनतम छेः महीने के लिए होगी, एक नया अनुबंध खोल दिया जायेगा। अनुबंध में प्रवेश करने की तारीख से एक महीने या उससे कम की अवधि के लिए दर्ज किया जाना चाहिए। अनुबंध की अवधि किसी भी आधार पर विस्तार योग्य नहीं होगी। हालाँकि, रेलवे प्रशासन एक और कार्यकाल के लिए सेवानिवृत रेलवे डॉक्टरों के साथ नए अनुबंध में प्रवेश करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा। अनुबंध के आधार पर छेः महीने की अवधि तक या नियमित रूप से सम्मलित होने या 65 वर्ष की आयुप्राप्त करने से पहले जो भी पहले हो, तक होगी। अन्य किसी आधार पर रेलवे प्रशासन को 15 दिन की अग्रिम सूचना देकर सविंदा खत्म कर सकता है। रेलवे प्रशासन भी संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय 15 दिनों की पूर्व सूचना देकर डॉक्टरों को बिना किसी कारण को परिभाषित किये संविदा को समाप्त कर सकता। यदि कोई सी एम पी मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम पाया जाता है तो उस समय भी उसकी संविदा समाप्त कर दी जाएगी।

प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं है।

नोट:1 करार के आधार पर डॉक्टर अधिकृत रूप से रेलवे क्वार्टर के हक़दार नहीं होंगे, फिर भी आवासों की उपलब्ध्ता पर उसके आवास की व्यवस्था की जा सकती है। रेलवे के साथ करार के दौरान उनकी ड्यूटी के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश उनके चयनित हो जाने पर नियुक्ति पत्र के साथ दिया जायेगा। 2. इक्छुक अभियर्थी अपना आवेदन सभी प्रमाणपत्रों अवं अंक पत्रों की सत्यापित छायाप्रति के साथ सलंगन प्रोफोर्मा में पूर्ण भरकर दिए गए ईमेल पर दिनांक सुबह 10 बजे 29.07.2020 तक अपलोड करें :- ईमेल id- conp2019@gmail.com 3. चयनित उम्मीदवारों को विभिन्न स्टेशनों पर स्थित अस्पतालों/स्वतः इकाइयों में आवश्यकतानुसार अनुबंध जारी की जाएगी। रेलवे प्रशसन को अधिकार है की वह प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार नियुक्ति के स्थान को बदल सकता है। 4. अधिसूचित रिक्तियों के स्थानों को प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है। 5. अधिसूचना की प्रति उत्तर मध्य रेलवे की वेबसाइट www.ncr.indianrailways.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। 6. उपयुक्त पाए गए उम्मीदवार को टेलीफोन/एस एम एस के द्वारा मंडल रेलवे अस्पताल , झाँसी मंडल में रिपोर्ट करने हेतु निर्धारित तिथि की सूचना दी जाएगी।